न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/100

1. जगदीश आत्मज स्व0 बद्रीलाल जी जाट जाति जाट निवासी मोडक स्टेशन हाल झालवाड।
2. सुभाष आत्मज स्व0 बद्रीलाल जी जाट जाति जाट निवासी मोडक स्टेशन हाल पुरोहित जी की टापरी, कोटा ।
3. शम्भू लाल आत्मज स्व0 बद्रीलाल जी जाट जाति जाट निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर कोटा खण्ड कोटा ।
2. तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रहलाद मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र सिंह, राजावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 12.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2013 के विरुद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर कोटा खण्ड कोटा के पत्र क्रमांक एफ ––1/01–02/II कोटा दिनांक 22.10.2012 व 03.01.2013 से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत सवंदेक श्री बद्रीलाल जाट पुत्र श्री रामलाल जाट पूर्व डाकपाल के विरूद्ध 1,09,085/– रूपये की वसूली हेतु रिक्वीजिशन अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत किया गया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए श्री बद्रीलाल जाट पुत्र रामलाल जाट को पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 06 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील बद्रीलाल जाट के पुत्र शम्भू द्वारा की गई ।

4. बद्रीलाल जाट के उपस्थित नहीं आने से अधीनस्थ न्यायालय ने बद्रीलाल जाट बकायादार के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.07.2013 के द्वारा बद्रीलाल जाट को डाक विभाग की राशि के दुर्विनियोजन/गबन का आरोपी मानते हुए उनसे पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 11 के अनुसार राशि मूल 51,547/– एवं पेनल ब्याज 57,538/– कुल 1,09,085/– वसूली योग्य मानते हुए । धारा 14 के अनुसार रिक्वीजशन मूल राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की दिनांक 24.01.2013 से जमा कराने की दिनांक तक पीडीआर एक्ट नियम 1953 की धारा 12 एए के अनुसार 10 प्रतिश कोस्ट राशि 10908/– वसूल योग्य मानते हुए वसूली करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2013 से व्यथित होकर बद्रीलाल जाट के वारिसान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ब्रदीलाल जाट के खिलाफ पेश की गई है । बद्रीलाल जाट की मृत्यु हो चुकी है इस कारण कार्यवाही ड्रोप किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर कोटा अथवा अन्य किसी भी अधिकारी ने बद्रीलाल जाट के विरूद्ध कोई रिपोटे गबन अथवा दुर्विनियोजन के बाबत् पुलिस थाना मोडक में दर्ज नहीं करवायी और न किसी प्रकार का परिवाद न्यायालय में पेश किया गया और न किसी प्रकार का नोटिस अथवा सूचना पत्र देकर विभागीय कार्यवाही की गई । इस कारण बद्रीलाल जाट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर एक तरफा निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के तरफा निर्णय की पालना में अपीलान्ट को उत्तरदायी मानकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है जो सर्वथा गलत है । उक्त तथाकथित राशि से अपीलान्टगण का कोई सम्बन्ध नहीं है । बद्रीलाल जाट की कोई अचल सम्पत्ति स्थित नहीं है और न ही कोई पैतृक सम्पत्ति स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2013 निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित किया है । बाद में बद्रीलाल की मृत्यु हो गयी है । एक तरफा निर्णय की पालना में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्ट की अचल सम्पत्ति को कुर्क व नीलाम करने बाबत् दिनांक 21.12.2015 को कहने पर उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि बद्रीलाल जाट उप डाकपाल के पद पर कार्यरत थे । दिनांक 11.03.2002 को डाकघर में 45 हजार रूपये की चोरी हो गई उनके द्वारा थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी गई । एफआईआर में एफ0आर0 लगा दी गई जिसमें उनके खिलाफ धारा 182 आईपीसी का परिवाद न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बद्रीलाल को दोष सिद्धि मानकर परिवीक्षा पर छोड दिया गया । दोष सिद्धी के खिलाफ ब्रदीलाल जाट ने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामगंजमण्डी में अपील पेश की जो विचाराधीन है । बद्रीलाल जाट के खिलाफ कोई गबन की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी गई है और न ही कोई परिवाद पेश किया गया है फिर भी गबन मानकर 1,09,085/– रूपये की राशि 10 प्रतिशत की कोस्ट से पीडीआर में वसूली के आदेश पारित किये हैं । बद्रीलाल जाट अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई और दिनांक 12.07.2013 को वसूली के आदेश पारित किये गये है । वसूली की कार्यवाही के दौरान बद्रीलाल की मृत्यु हो चुकी है इस कारण इस कार्यवाही को चालू रखना अवैधानिक है । अपीलान्टगण के पास कोई भी सम्पत्ति बद्रीलाल जाट की नहीं है । इस कारण इस राशि की वसूली उनसे नहीं की जा सकती । बद्रीलाल जाट के नाम कोई सम्पत्ति नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार सम्पत्ति पैतृक है और उसी से वसूली हेतु कार्यवाही की गई है । पीडीआर की धारा 19 और 20 के अनुसार डिफॉल्टर की मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक वारिसान से वसूली की जा सकती है । निर्णय दिनांक 12.07.2013 का है उस समय बद्रीलाल जाट जीवित थे उनकी मृत्यू निर्णय के पश्चात् हुई है और तहसीलदार की रिपोर्ट स्पष्ट है जिसमें बद्रीलाल के नाम पैतृक सम्पत्ति दर्शायी गई है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2013 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में धारा 182 आईपीसी के तहत पारित निर्णय दिनांक 18.12.2013 की प्रमाणित प्रति, उप तहसील चेचट के पत्र दिनांक 13.01.2011 की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं । उक्त संलग्न दस्तावेजात न्यायालय के निर्णय एवं पत्र की प्रमाणित प्रति हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में उक्त संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित समझते हैं । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 13.01.2011 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार ब्रदीलाल जाट का एक पुश्तैनी मकान थाने के सामने मोडक स्टेशन पर होना बताया है जिसका बंटवारा तीन भाईयों के बीच हुआ है । इस मकान की दूसरी मंजिल पर इनका बंटवारा होना बताया गया है जिसमें इनके हिस्से में दो कमरे आये थे जिसमें वर्तमान में इनका पुत्र शम्भूसिंह जाट निवास कर रहा है । पहली एवं तसरी मंजिल बद्रीलाल जाट के भाईयों के हिस्से में आई है । यह मकान पैतृक है जिसमें उनका एक हिस्सा प्राप्त हुआ है । विद्वान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जिस समय निर्णय पारित किया गया था उस समय बद्रीलाल जाट जीवित थे और निर्णय दिनांक 18.12.2013 न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खैराबाद के अनुसार बद्रीलाल जाट के द्वारा चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज किया जाना प्रमाणित माना गया है और उन्हें धारा 182 आईपीसी के तहत दोषी माना गया है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बद्रीलाल को नोटिस जारी किये गये उनके द्वारा इस नोटिस का जवाब भी पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया है कि यह राशि ग्रेच्यूटी एवं अन्य लाभ में से काट ली जावे । इस प्रकार बद्रीलाल जाट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया था उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया था । विभाग के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह यह अवगत करवाया गया है कि उनको कोई पेंशन एवं परिलाभ देय नहीं है और तहसील की रिपोर्ट के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में बद्रीलाल का हिस्सा बताया गया है । पीडीआर एक्ट के क्लॉज 19 और 19 ए के अनुसार बद्रीलाल के विधिक वारिसान मृतक से प्राप्त उनकी सम्पत्ति की सीमा तक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2013 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा